

पत्र सं०:-5/पी०-40/2024-16(5)व/स्वा०

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:- 23.06.2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना अन्तर्गत आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना) के तहत कुल 2,20,00,00,000/- (दो अरब बीस करोड़) रुपए मात्र का आवंटन के संबंध में।

महाषय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प संख्या-28(4) दिनांक-18.10.2021, स्वीकृत्यादेश संख्या-21(5) दिनांक 23.06.2026 तथा कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के पत्रांक-301 दिनांक-13.03.2026 एवं पत्रांक-597 दिनांक-30.04.2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना अन्तर्गत आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना) के संचालन पर व्यय हेतु कुल 2,20,00,00,000/- (दो अरब बीस करोड़) रुपए मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपर्युक्त संकल्प एवं स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

3. योजना पर होने वाले व्यय का विकलन निम्नांकित राज्य स्कीम बजट शीर्षों के अधीन उपबंधित राशि से किया जाएगा:-

क्र०	बजट शीर्ष	आवंटित राशि
1	बजट मुख्यशीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-102-कर्मचारी राज्य बीमा योजना-77-आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना-01-पी०एम०जे०ए०वाई० के तहत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना-06-अनुदान-48-अंशदान (विपत्र कोड-205-2210-01-102-77-01-06-48)	2,00,00,00,000
2	बजट मुख्यशीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-77-आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना-01- पी०एम०जे०ए०वाई० के तहत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना-06-अनुदान-48-अंशदान (विपत्र कोड-205-2210-01-796-77-01-06-48)	20,00,00,000
	कुल योग	2,20,00,00,000

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची होंगे, जो आवंटित की जा रही राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी कर झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी, नामकुम, राँची को हस्तान्तरित करेंगे।

5. इस सम्पूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।


(आनंद कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

6. राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार, राँची से की जायेगी।
7. योजना का क्रियान्वयन झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी, नामकुम, राँची के द्वारा विभागीय संकल्प संख्या-28(4) दिनांक 18.10.2021, संकल्प संख्या-72(21) दिनांक-02.07.2024 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-21(05) दिनांक-23.06.2026 के आलोक में किया जाएगा।
8. कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी, नामकुम, राँची आवंटित राशि के व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि योजनाओं/कार्यक्रमों की स्वीकृति सक्षम स्तर/प्राधिकार से प्राप्त है। साथ ही, आन्तरिक अंकेक्षण एवं उसका अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराएँगे।
9. राशि का व्यय राज्य सरकार के दिशा-निर्देश एवं सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए उनके द्वारा विहित शर्तों/निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी, नामकुम, राँची द्वारा विहित प्रपत्रों में प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक विभाग को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी, नामकुम, राँची का दायित्व होगा कि व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय भारत सरकार, महालेखाकार एवं स्वास्थ्य विभाग को समर्पित करेंगे।

विश्वासभाजन,


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक:- 16 (S)ब,

राँची, दिनांक:- 23.06.2026


प्रतिलिपि:

1. अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
3. सभी उपायुक्त, झारखण्ड।
4. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
5. कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसायटी, नामकुम, राँची।
6. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची।
7. सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड।
8. कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची।
9. प्रभारी प्रषाखा-6 एवं 21, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
10. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनंद कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

16(S)ब,
23.06.2026


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health, Medical Education and Family Welfare Department

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 5/P-40/2024/16(5)B

दिनांक - 24-Jun-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 22100110277010648 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 102 - कर्मचारी राज्य बीमा योजना 77 - आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 01-PMJAY के तहत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (MMSBY) 06 - अनुदान State Scheme	34782	DRNMED124 DR.SIDDHARTHA SANYAL DI.IN.CHIEF H.DIRT.JHAR.RANCHI	2,000,000,000.00 रुपये दो अरब
	State Scheme : AYUSHMAN BHARAT-MUKHYAMANTRI JAN AAROGYA YOJANA(1748) Central Scheme : NA			
2	S 20 22100179677010648 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 77 - आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 01-PMJAY के तहत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (MMSBY) 06 - अनुदान State Scheme	34783	DRNMED124 DR.SIDDHARTHA SANYAL DI.IN.CHIEF H.DIRT.JHAR.RANCHI	200,000,000.00 रुपये बीस करोड
	State Scheme : AYUSHMAN BHARAT-MUKHYAMANTRI JAN AAROGYA YOJANA(1748) Central Scheme : NA			

योग: रुपये दो अरब बीस करोड

2,200,000,000.00

क्रमिक योग:

(AJAY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग


2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 102 - कर्मचारी राज्य बीमा योजना & 77 - आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना & 77 - आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S22100110277010648	20S22100179677010648	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Doranda	DRNMED124	Dr.Siddhartha Sanyal	Di.In.Chief H.Dirt.Jhar.Ranchi	₹2,00,00,00,000.00 (34782)	₹20,00,00,000.00 (34783)	₹2,20,00,00,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹2,20,00,00,000.00 (दो अरब बीस करोड) रुपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए


(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY